प्रेस नोट दिनांक 24.08.2024

थाना कन्दवा - जनपद चन्दौली

➡️ एसपी श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कन्दवा पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

➡️ गोवंश की तस्करी करने व अवैध हथियार रखने जैसे अपराध कारित करने वाले जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कन्दवा द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

➡️ सुभाष बिन्द व छोटू प्रसाद नट गोवंशो की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में हैं संलिप्त,

➡️ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु कराता है गोवंशो की तस्करी

➡️ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कन्दवा हरिनारायण पटेल के नेतृत्व में थाना कन्दवा पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग सरगना व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- सुभाष बिन्द पुत्र श्यामरथी बिन्द निवासी ग्राम धनाईतपुर पोखरा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 40 वर्ष (गैंग सदस्य) 2- छोटू प्रसाद नट पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम खुरहट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 43 वर्ष के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 23.08.2024 को मु0अ0स0-35/2024 धारा3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत व गोवंशो की तस्करी कर अनाधिकृत रूप से भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग के सरगना/ सदस्य पर जनपद के थाना कन्दवा जनपद

चन्दौली में गोवंश नि0अधि व अवैध शस्त्र नि0 अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली मे सरकारी अफसर के आदेश की अवमानना करने का अभियोग पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहासः-

(गैंग लीडर) 1- सुभाष बिन्द पुत्र श्यामरथी बिन्द निवासी ग्राम धनाईतपुर पोखरा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 91/2020धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

2- मु0अ0सं0 15/2024 धारा 3/5A/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3- मु0अ0स0-35/2024 धारा3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहासः-

(गैंग के सदस्य) 2- छोटू प्रसाद नट पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम खुरहट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 43 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 15/2024 धारा 3/5A/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2- मु0अ0सं0 325/2015 धारा 188 भा0द0वि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3- मु0अ0स0-35/2024 धारा3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 24.08.2024
थाना मुगलसराय   जनपद चन्दौली

□मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 01 चोर को चोरी की 01 मोबाइल के साथ किया गया गिरफ्तार।
□पुलिस टीम द्वारा कस्बा मुगलसराय, रेलवे जीटीआर ओवर ब्रिज के पास से मिली सफलता।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में अभियुक्त 1. राहुल पासवान पुत्र स्व0 राजेन्द्र पासवान निवासी उसमानपुर अलीपुर थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 24.08.2024 को समय करीब 01.20 बजे अभियुक्त के पास से चोरी की 01 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 24.08.2024 को उ0नि0 ब्रम्हाशंकर राय मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो मुगलसराय व बनारस के भीड़भाड़ वाले स्थानो पर मोबाइल की चोरी व महिलाओं की गले की चैन चुराने का काम करता है। आज दिन में कई बार कस्बा क्षेत्र में दिखाई दिया है, और वह रात्रि में कही न कही मोबाइल चोरी करने वाला है, चोरी ही उसका पेशा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा रेलवे जीटीआर ओवर ब्रिज के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै घुमघुम कर मुगलसराय,बनारस व कैंट स्टेशन जाकर भीडभाड़ जगहो पर मोबाइल व महिलाओ के गले की चैन चुराकर जीवन यापन करता हूँ। यही मेरा धंधा व जीवन यापन का जरिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राहुल पासवान पुत्र स्व0 राजेन्द्र पासवान निवासी उसमानपुर अलीपुर थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0- 383/2022 धारा 120बी/379/41/411/414 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0- 192/2022 धारा 380/411 भादवि थाना जैतपुरा जनपद काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)।
3. मु0अ0सं0- 195//2022 धारा 379/411 भादवि थाना रामनगर जनपद काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)।
4. मु0अ0सं0- 214/2022 धारा 379/411 भादवि थाना रामनगर जनपद काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)।
5. मु0अ0सं0- 270/2022 धारा 379/411 भादवि थाना थाना लंका जनपद काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)।
6. मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण-

1-चोरी की गई 01 अदद मोबाइल (INFINIX)

2-नगदी-130 रू0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 ब्रम्हाशंकर राय चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 सुहैल अहमद थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

प्रेसनोट दिनांक-24.08.2024
थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 346/2024 धारा 109 / 61(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 21/22.08.2024 को रात्रि 00.30 बजे ग्राम हमीदपुर मे सड़क पर रमेश केशरी पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम नरायनपुर भितरी बाजार गांधी चबुतरा के पास थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर द्वारा वादी मुकदमा विरेंद्रर कुमार वर्मा पुत्र अच्छेलाल वर्मा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर पर कुछ दिन से सभी रेलगाड़ी रोकने का दबाव बनाया जा रहा था ताकि अभियुक्तगण की चाय पानी की दुकानदारी चल सके जिसको वादी मुकदमा द्वारा जब मना कर दिया गया जिस बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मार दिया गया था। उपरोक्त घटना मे वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 346/2024 धारा 109 / 61(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली पंजीकृत किया गया था।

नाम पता अभियुक्त-
1.रमेश केशरी पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम नरायनपुर भितरी बाजार गांधी चबुतरा के पास थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास–
मु0अ0सं0 346/2024 धारा 109 / 61(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
2.म0उ0नि0 पूजा कौर चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
3.हे0का0 यशवन्त चौधरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
4.का0 रामकेश पाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
5.हे0का0 अभिषेक सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
6.का0 प्रदीप निषाद थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.08.2024
जनपद चंदौली

प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा सैयदराजा स्थित परीक्षा केन्द्र का किया गया निरीक्षण

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 की री-एक्जाम 23 अगस्त सहित 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की गई है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा सैयदराजा स्थित नेशनल इंटर कालेज पर पहुंचकर कर शांतिपूर्ण संचालित लिखित परीक्षा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। परीक्षा के लिए 10 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जहां प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और सायंकाल 03.00 बजे से 05.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित दूरी तक किसी प्रकार की व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, परीक्षार्थियों की चेकिंग अत्याधुनिक संसाधनों से करायी जाए तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध, बसों की व्यवस्था, साफ-सफाई और निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित न रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।

उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इसके बावजूद, कई अभ्यर्थी रेल मार्ग या निजी साधनों से भी यात्रा करेंगे, जिससे रोडवेज बस स्टाप, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्गों पर भारी भीड़-भाड़ होने की संभावना है।जिसको लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में अभिसूचना कर्मी को एचएचएमडी के साथ तैनात किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक्स सत्यापन के उपरान्त ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रानिक्स सामग्री व बैग इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये जगह जगह हेल्प डेस्क बनाये गये है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र सीसीटीवी से आच्छादित है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-24.08.2024
थाना बलुआ जनपद चंदौली

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री रघुराज महोदय के गहन पर्यवेक्षण में अशोक कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 135/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली के नामित वांछित अभियुक्तगण 1.घूरेलाल यादव पुत्र सुदामा यादव (पति) 2.सुदामा यादव पुत्र स्व0 रामचरित्र यादव (ससुर) निवासीगण ग्राम नैढी थाना बलुआ जनपद चन्दौली व अभियुक्ता रमावती देवी पत्नी सुदामा यादव (सास) नि0 ग्राम नैढी थाना बलुआ जनपद चन्दौली को उनके घर वहद ग्राम नैढी से गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.08.2024 को थाना बलुआ पर वादी मुलायम यादव पुत्र स्व0 सुग्रीव यादव निवासी ग्राम सरौली थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी बहन गौरी पुत्री स्व0 सुग्रीव यादव ग्राम सरौली थाना बलुआ जनपद चन्दौली के ससुरालजन 1.घूरेलाल पुत्र सुदामा यादव (पति) 2.सुदामा यादव पुत्र अज्ञात (ससुर) 3.रमावती देवी पत्नी सुदामा यादव (सास) 4.ममता देवी पुत्री सुदामा यादव (ननद) समस्त निवासीगण ग्राम नैढी थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा दहेज की मांग करना, दहेज ना मिलने पर प्रताड़ित करते हुए मारकर मृत्यु कारित कर देने के सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बलुआ पर मु0अ0सं0- 135/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत कर वांछित अभियुक्तगण उपरोक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.घूरेलाल यादव पुत्र सुदामा यादव (पति) उम्र करीब 29 वर्ष
2.सुदामा यादव पुत्र स्व0 रामचरित्र यादव (ससुर) उम्र करीब 60 वर्ष
3.रमवंती देवी पत्नी सुदामा यादव (सास) उम्र करीब 55 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम नैढी थाना बलुआ जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-135/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.अशोक कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बलुआ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अश्विनी कुमार राय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.हे0का0 ओमप्रकाश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4.का0 सुग्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5.म0का0 शालिनी चौधरी थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.08.2024
जनपद चन्दौली

□जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा समस्त थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक
□आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व चेहल्लुम त्योहार के दृष्टिगत की गई पीस कमेटी की बैठक

चन्दौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा आज दिनांक 24.08.2024 को आगामी त्यौहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व चेहल्लुम के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा आगामी त्यौहार पर शोभायात्रा एवं जुलूस आयोजकों व प्रबन्धकों, धर्मगुरूओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को त्यौहारों के सम्बन्ध में शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि त्यौहार के दौरान कोई भी शोभायात्रा एवं जुलुस बिना अनुमति के न निकाला जाए तथा निकलने वाले शोभायात्रा या जुलूस एवं उनके रूट आदि की सूचना प्रशासन एवं पुलिस को अवश्य दें, जिससे समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जा सकें और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार सम्पन्न कराया जा सकें। साथ ही लोगों को बताया गया कि परंपरागत तरीके से ही शोभायात्रा/जुलुस निकाले जाए, पूर्व की भांति शोभायात्रा/जुलुस जिन मार्गों से निकाले जाते है वही से निकाले जाए उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का नया फेर बदल ना किया जाए तथा त्यौहार के दौरान निकलने वाले शोभायात्रा, झांकी, अलम, ताजिया की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक नही होनी चाहिए।

मीटिंग में उपस्थित लोगों को बताया गया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम के शोभायात्रा/जुलूस एक ही समय व एक ही मार्ग पर न निकाले जाए आवश्यकतानुसार मार्ग या समय परिवर्तन कर लिया जाए ताकि जुलूस एक दूसरे को क्रास न करने पाए। साथ ही उपस्थित लोगो को बताया गया कि विद्युत अथवा साफ-सफाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, जिससे की समस्या का समाधान किया जा सकें।
तत्पश्चात मीटिंग में उपस्थित लोगो से त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं आपसी भाई-चारे के साथ मनाने एवं पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपील की गई तथा सभी को बताया गया कि क्षेत्र में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना समय से पुलिस को दें, जिससे कोई बड़ा विवाद उत्पन्न न हो सके। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई अवांछित पोस्ट ना करने हेतु बताया गया तथा बताया गया कि पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर लगातार सोशल मीडिया टीम द्वारा निगरानी की जा रही है इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर करे।